

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-1

पंचायत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठारोनी अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) केम्प कुडिया

- आदेश -

प्राथी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुडिया
व भूअनि वि.पु.05 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुडिया / नाम
तहसीलदार वि.पु.05 की अनुशारा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम कुडिया तहसील रेलमारा
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संपत्त 2077 में खाता संख्या 32 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
L	कुडिया	32	मेडलाच पुत्र नाथुलाच भाट SBBJ शाखा वि.पु.05	मेडलाच पुत्र नाथुलाच भाट SBBJ शाखा वि.पु.05

पीठारोनी अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 11/10/25

क्रमांक - 333
प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार रेलमारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्राथी श्री कुडिया को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

रेलमारा अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर